झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

माध्यमिक विद्यालय/इंटर स्तरीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 48/2017

एतद् द्वारा सभी कोटि के माध्यमिक विद्यालय/इंटर महाविद्यालय/डिग्री सम्बद्ध/अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि इन संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से संबंधित निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

1) वार्षिक माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा के लिए पंजीकृत होनेवाले छात्र/छात्राओं के लिए आधार संख्या अनिवार्य होगा।
2) वार्षिक माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले छात्र/छात्राओं की उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य रहेगा। एतद् संबंधी घोषणा पत्र संस्था प्रधान द्वारा परिषद् को समर्पित करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में छात्र/छात्राओं का परीक्षा प्रपत्र संबंधित परीक्षा के लिए परिषद् द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।
3) वार्षिक परीक्षा से पूर्व प्रत्येक विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के छात्रों की टेस्ट परीक्षा अनिवार्य रूप से ली जायेगी तथा टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को ही परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। टेस्ट परीक्षा का आयोजन दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, ताकि छात्रों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध रहे। यह व्यवस्था इंटर स्तर के सभी संस्थाओं में भी लागू माना जाएगा।

सम्बन्धित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिला में अवस्थित सभी विद्यालय / इन्टर महाविद्यालय द्वारा उक्त निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय, अन्यथा स्थिति में परिषद् अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्वतन्त्र होगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (रजनीकांत वर्मा)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा.गो./3832/17-SECY/484/17
Dt. 18.08.17
DOP : 19.08.17

8X13 = 104 sqcm